दिनांक : 03.07.2017

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक (DGP)
   पंजाब पुलिस हैड क्वार्टर्स,
   सेक्टर 9, चंडीगढ़ – 160009

2. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
   मिनी सेक्रेटेरियेट, फिरोजपुर रोड़,
   लुधियाना - 141001

विषयः पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007 Mob. 79735-71454) हूँ|

1. मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को दर्ज की गई है जिनको 24.06.2017 को मजिस्ट्रेट कोर्ट न. Duty Magistrate में पेश किया गया था जहाँ से 2.00pm बजे के आसपास ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया था मगर मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बावजूद सीधा जेल में ना पहुँचाकर अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व सुखदेव सिंह के कहने पर पुलिस के अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार ने मेरे बेटे मुकेश व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद को हथकड़ियाँ लगाकर दिनांक 24.06.2017 की शाम को लगभग 4.30pm से 6.30pm बजे के बीच में मौहल्ले में घुमाया जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ व पीड़ा हुई इसलिये पुलिस अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये|

2. इस घटना के कई गवाह हैं मगर अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की, सुखदेव सिंह व पुलिस के डर की वजह से कोई सामने आने के लिये तैयार नहीं हो रहा है। इस मौहल्ले में जैन कंपनी (गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007) भी मौजूद है जहाँ आने-जाने के रास्ते में CCTV कैमरे लगे हैं जिससे आनेजाने वालों की पहचान हो सकती है जिसमें हरेक वाक्या साफ दिखाई दे सकता है। मेरे द्वारा कंपनी के मालिक से निवेदन भी किया गया था कि वह CCTV फुटेज दे मगर पुलिस के दबाव में उनके द्वारा CCTV फुटेज नहीं दी गई इसलिये दिनांक 24.06.2017 की शाम 4.30pm से 6.30pm बजे तक की CCTV फुटेज जब्त करवाई जाये जिससे पुलिस द्वारा किये गये अपराध के सबूत नष्ट ना हो सकें।

3. ज्ञात हो कि, असल मामले को दबाने के लिये अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व सुखदेव सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 दर्ज करवाई है।

4. पुलिस के द्वारा हथकडी पहना कर घुमाना सुप्रीम कोर्ट के संविधान का हनन है साथ ही मानवाधिकार का भी हनन है।

5. लकी उर्फ जयहिंद की क्लीनिक से CCTV Camera व प्रिंटर के साथ-साथ अन्य कीमती सामान बिना पंचनामा किये जब्त किये गये जिसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया है।

India Post
RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631316633IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:POLICE COMMISSIONER,MINI SECTT
Ludhiana H.O, PIN:141001
From:CHANDERKALAN THAKUR , LDH
Wt:50grams,
Amt:32.00 ,03/07/2017 ,13:52
<<Track on www.indiapost.gov.in>>
भारतीय डाक
India Post

चन्द्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर

Mob. 79735-71454

(शिकायतकर्ता)

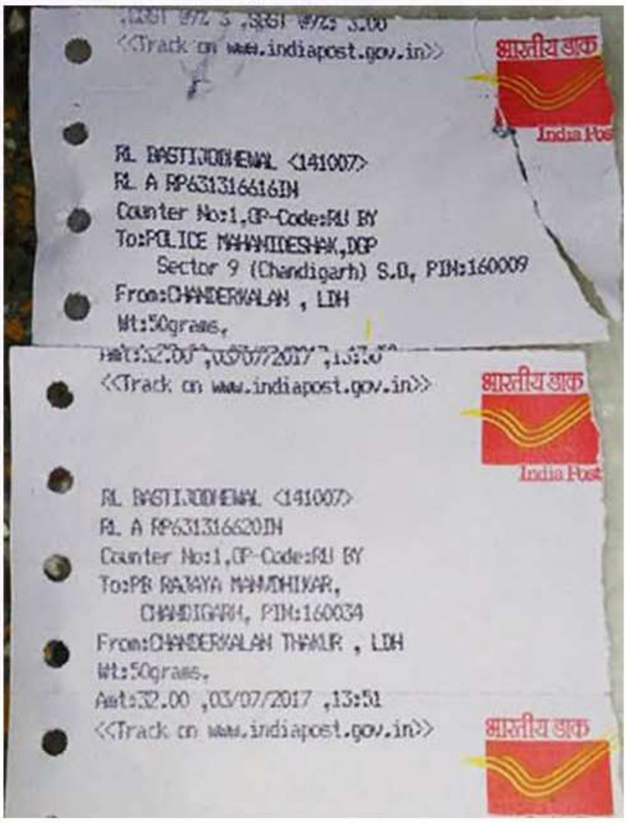
<<Track on www.indiapost.gov.in>>
भारतीय डाक
India Post
RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631316616IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:POLICE MAHANIDESHAK,DGP
Sector 9 (Chandigarh) S.O, PIN:160009
From:CHANDERKALAN , LDH
Wt:50grams,
<<Track on www.indiapost.gov.in>>
भारतीय डाक
India Post
RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631316620IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:PB RAJAYA MANVDHIKAR,
CHANDIGARH, PIN:160034
From:CHANDERKALAN THAKUR , LDH
Wt:50grams,
Amt:32.00 ,03/07/2017 ,13:51
<<Track on www.indiapost.gov.in>>
भारतीय डाक

संलग्न दस्तावेज़ :

- झूठी आरोपों के आधार पर दर्ज F.I.R. की कॉपी
- जेल वॉरंट

प्रतिलिपी :

- पुलिस महानिदेशक, पंजाब
- पुलिस कमिश्नर, लुधियाना